

विचार-प्रवाह... शिक्षा का बेड़ा गर्क



पेज 3

देहरादून, मंगलवार, 22 फरवरी 2022



मौसम

अधिकतम 23.0° न्यूनतम 13.0°

41243.37

2

इमरान पर भड़की मरियम नवाज

7

मुश्किल हालात से निकलते देख अच्छा लगा

यूनिफॉर्म में धार्मिक पहलू नहीं होने चाहिए

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

बेंगलुरु। हिजाब विवाद को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को भी कर्नाटक हाईकोर्ट की सुनवाई जारी रही। हाईकोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के सामने कर्नाटक सरकार ने अपनी दलीलें रखी। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को दोहराया कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रमूला नवदगी ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखा जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने कहा कि हिजाब से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस पर कर्नाटक के महाधिवक्ता नवदगी ने कहा कि केवल अनुच्छेद-25 के तहत केवल

कर्नाटक में थम नहीं रहा बवाल, हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

कानून-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में सोमवार को जिले में हिंसा भड़क गई। राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि हमने पुलिस अधिकारियों को स्थिति का विश्लेषण करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। 2-3 दिन हमें इस पर ध्यान रखना होगा। जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस हत्या के खिलाफ रैली निकाली है। पुलिस व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। जरूरी धार्मिक प्रथा को संरक्षण मिलता है। यह नागरिकों को उनकी पसंद के आधार पर धार्मिक विश्वास की गारंटी देता है। उन्होंने अनुच्छेद-25 के भाग



के रूप में धर्म में सुधार का भी उल्लेख किया। सूत्रों मुताबिक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपने तर्क दिया है कि सरकारी आदेश हानिकारक नहीं है। राज्य सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। सरकारी संस्थाओं का कहना है कि विद्यार्थियों को निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश

शिमोगा हत्याकांड के बाद तनाव

कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के शिवमोगगा में रविवार रात करीब 9 बजे 26 वर्षीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या कर दी गई। युवक की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बढ़ गई है, जिसे देखते हुए शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि हमें अभी तक गिरफ्तारी से संबंधित कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं मिली है। हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ चल रही है। बहुत जल्द हम हत्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, जो जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

ने महाधिवक्ता से पूछा आपका क्या रुख है। क्या शिक्षण संस्थानों में हिजाब की अनुमति दी जा सकती है या नहीं? इस पर महाधिवक्ता नवदगी ने कहा कि यदि संस्थान इसकी अनुमति देते हैं तो सरकार संभवतः इस पर निर्णय लेगी। इस बीच राज्य में सोमवार को भी छात्राओं की ओर से इस मुद्दे पर विरोध

जारी रहा। कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने पर कई छात्राओं ने 2 पीयूसी प्रैक्टिकल परीक्षाओं का बहिष्कार किया। हालांकि अधिकांश हिजाब उतारकर परीक्षा में शामिल हुईं। बेंगलुरु में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में लगाई गई धारा-144 को आठ मार्च तक बढ़ा दिया गया है।

विरोध में भी हो रही आवाजें बुलंद

हिजाब के विरोध में भी आवाजें बुलंद हो रही हैं। विजयपुरा जिले में 40 से अधिक स्टूडेंट्स ने हिजाब हटाने को लेकर जिला आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इन विद्यार्थियों ने परीक्षा का भी बहिष्कार किया। हसन में भी छात्राओं ने हिजाब उतारने से मना किया। कोप्पल जिले में 26 फरवरी तक धारा-144 बढ़ा दी गई है। उडुपी में प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कालेज की प्रदर्शनकारी छह छात्राओं ने प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग नहीं लिया। इस संबंध में प्रदेश सरकार का रुख यह है कि धार्मिक पहलुओं को पेश करने का तत्व यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

भारत में कोरोना कसों में कमी जारी एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। भारत ने पिछले 24 घंटों में 16,051 नए कोरोना मामले और 206 मौतें दर्ज की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में परीक्षण क्षमता को बढ़ाया गया है, देश में साप्ताहिक सकारात्मकता दर वर्तमान में 2.12 प्रतिशत है और दैनिक सकारात्मकता दर 1.93 प्रतिशत हो गई है। कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो इसमें भी इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 37,901 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। नौसैना अत्यधिक सफल, देश को नौसैनिकों पर गर्व एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि भारतीय नौसैना की निगरानी, घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया और अथक प्रयास समुद्र की सुरक्षा बनाए रखने में अत्यधिक सफल रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जहाजों, विमानों और पनडुब्बियों की उत्कृष्ट परेड ने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है।

लालू को चारा केस में 5 साल की सजा

60 लाख जुर्माना, 37 अन्य दोषियों को भी सजा एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

रांची। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को आज सीबीआई की वृद्धि अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी है। 60 लाख जुर्माना लगाया गया है। अनुमान के मुताबिक आज सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे सजा की घोषणा की गई। लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई है। सीबीआई के जज एस के शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई। इससे पूर्व सभी दोषियों ने ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू प्रसाद यादव इस समय रांची रिम्स में इलाज में हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्हें एक लैपटॉप उपलब्ध कराया गया था। इसी

साथ है जिसके जनता, उसका हौसला क्या तोड़ेंगी सलाखें

सजा सुनाए जाने के बाद राजद सुप्रीमो लालू ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट किया है। लिखा है, अन्याय असमानता से तानाशाही जुल्मी सत्ता से लड़ा हूँ लड़ता रहूँगा। डाल कर आंखों में आंखें सच जिसकी ताकत है। साथ है जिसके जनता उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें। मैं उनसे लड़ता हूँ जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं। वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फंसाते हैं। ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूँ और लड़ता ही रहूँगा।

लैपटॉप के सहारे लालू यादव ने अपनी सजा सुनी। सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस की। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो गई है। लालू को कुल 17 तरह की बीमारियां हैं। बीपी और शुगर का भी हवाला दिया। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की। उधर लालू प्रसाद यादव के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की।

उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला के इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई है। जिन लोगों को वारंट जारी हुआ था, वे लोग भी आज अदालत पहुंचे थे। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है, कि अधिकतम सजा पांच साल और अधिकतम जुर्माना दो करोड़ रुपये सुनाया गया है। अधिकतम सजा पाने वालों की सूची में लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद सईद, आरके राणा और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद शामिल हैं।

समाजवादी पार्टी तो यूपी में आतंकियों के साथ

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

पीलीभीत। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण वाले मतदान क्षेत्र के पीलीभीत में प्रचार के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर तो रखा ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने पीलीभीत के सभी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सभा को संबोधित किया। पीलीभीत में 23 फरवरी को मतदान होगा। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में आतंकियों के साथ है। सपा ने आतंकियों को छोड़ने का घोषणा पत्र में वादा किया था। उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या वोटर के लालच में आतंकियों को समर्थन देने वालों को वोट देना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि सपा तथा कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प आतंकवाद फैलाने वालों को देश दुनिया से मूल से उखाड़ फेंकना है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि

निशाना

■भाजपा गरीबों, पिछड़ों व दलितों की सरकार: शाह

आतंकवाद फिजूल बात है। इस पर रोक लगाना फिजूल है। उनके नेता सलमान खुशीद कहते हैं, अहमदाबाद धमाके में पकड़े गए लोग निर्दोष हैं। अमित शाह ने कहा कि पीलीभीत वालों तीन चरण का परिणाम बताऊँ। इसमें सपा तथा बसपा का सूपड़ा साफ हो चुका। कांग्रेस तो दूरबीन से भी दिखाई नहीं पड़ती है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पांच वर्ष तक गरीब कल्याण, कानून व्यवस्था, युवाओं के लिए जो काम किये हैं, उससे भाजपा की लहर है। सातवें चरण तक यह लहर सुनामी में बदल जाएगी। इससे पहले अमित शाह ने कहा कि राजा मोरख्वज की पावन धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। सिखों के बलिदान को सम्मान देने का काम पीएम नरेन्द्र मोदी ने किया है। जो बोले सौ निहाल्य का नारा लगवाया।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you

What we do

- Website Development**
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
- Promotion & Branding**
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
- Search Engine Optimisation**
A-Z Work to make a Website Search Engine Friendly. You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

भारत में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार जारी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण अब काफी तेजी से घट रहा है इसके बावजूद सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी नहीं लाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में देशभर में 7 लाख से अधिक डोज लगाई गई है। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के

175.46 करोड़ के पार पहुंचा कुल टीकाकरण कवरेज

मुताबिक अब भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 175.46 करोड़ को पार कर गया है। बता दें कि अब तक दी गई 1,75,46,25,710 कुल डोज में से स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को 1,04,00,693 वैक्सीन की पहली डोज और 99,52,973 दूसरी वैक्सीन डोज दी गई है। वहीं फ्रंट लाइन

वर्कर्स को पहली डोज 1,84,07,927 और 1,74,18,259 दूसरी डोज दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह जानकारी 1,98,99,635 सत्रों के माध्यम से हासिल की गई है। बता दें कि बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से काम कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि 15-18 साल की उम्र के बच्चों को 5,36,77,342 कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है।